दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली

फौ.वि.मु. 996/2021 और फौ.वि.अ. 5072/2021

निर्णय की तिथि: 24.08.2021

के मामले में:

शेखर कुमार उर्फ़ शेखर सिंह ....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री संजय गुप्ता, अधिवक्ता

बनाम

रा.रा.क्षे. दिल्ली राज्य ....प्रत्यर्थी

द्वारा: सुश्री नीलम शर्मा, राज्य

अभि. सह नि./दरोगा वीरेंद्र

मोर, सतर्कता थाना

कोरमः

माननीय न्यायाधीश श्री मनोज कुमार ओहरी

(वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से)

मनोज कुमार ओहरी, न्या. (मौखिक)

1. वर्तमान याचिका याचिकाकर्ता की ओर से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा दं.प्र.सं. 482 के तहत दायर की गई है जिसमें दिनांक 17.03. 2020 के आदेश को रद्द करने की मांग की गई है, जो कि विशेष न्यायाधीश, भ्र.नि. अधिनियम, एसीबी-1, केंद्रीय जिला, राउज़ एवेन्यू न्यायालय, दिल्ली द्वारा पारित किया गया था, जिसके तहत याचिकाकर्ता और सह-अभियुक्त उप.नि. अमित कुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (तद्पश्चात 'भ्र.नि. अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा

7/8/13(1)(डी) के तहत पुलिस थाना सतर्कता, दिल्ली में दर्ज एफआईआर सं. 5/2018 में आरोप विरचित किए गए थे।

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य जो आक्षेपित आदेश में फाज़िल विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित किए गए हैं, निम्नानुसार हैं:-

> *"1. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि 23.05.2018 को शिकायतकर्ता श्री सुरेंद्र सिंह ने पंच गवाह श्री रमेश चंद्र केशरवानी की उपस्थिति में नि. अजय त्यागी को थाना सतर्कता में एक हस्तलिखित शिकायत दी जिसमें अभिकथित रूप से यह कहा कि शिकायतकर्ता वाहन सं. एचआर-46 डी-5396 का पंजीकृत मालिक है। यह आगे कहा गया है कि जसवीर, ड्राइवर 07.05.2018 को माल*

से भरे पूर्वोक्त वाहन में न्यू ग्रीन ट्रांसपोर्ट, रामपुरा से मद्रास के लिए रवाना हुआ। यह आगे कहा गया है कि थाना पंजाबी बाग में शिकायतकर्ता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाले श्री शेखर (न्यू ग्रीन ट्रांसपोर्ट के मालिक) के कहने पर उक्त वाहन को रोक दिया गया था। इसके बाद, 16.05.2018 को, श्री शेखर शिकायतकर्ता को थाना पंजाबी बाग ले गए, जहां आरोपी उप.नि. अमित कुमार मिला जिसने शिकायतकर्ता को जेल भेजने की धमकी दी यदि उसके पांच लाख रुपये की मांग पुरी नहीं हुई । अगले दिन आरोपी उप.नि. अमित कुमार ने थाने में शिकायतकर्ता से रु.2,50,000/- प्राप्त किए और शिकायतकर्ता को अगले दिन शेष राशि का भुगतान

करने के लिए कहा। इसके बाद, 18.05.2018 को, शिकायतकर्ता ने अभियुक्त उप.नि. अमित कुमार को फिर रु.30,000/- दिया, जिसने शिकायतकर्ता को चेतावनी दी और उसे 21.05.2018 तक शेष राशि का भुगतान करने के लिए कहा। इसके बाद, शिकायतकर्ता रु.50,000/- (प्रत्येक 2,000/- के 25 मुद्रा नोट) के साथ थाना पहुंचा और 23.05.2018 को एक शिकायत की जिस पर पंच गवाह रमेश चंदर केशरवानी के हस्ताक्षर किए गए थे और मुद्रा नोटों का सीरियल नंबर नोट किया गया और फेनोल्फथैलिन पाउडर को पूर्वोक्त जीसी नोटों लगाया गया और छापेमारी के लिए आगे बढ़ने से पहले शिकायतकर्ता को डेमो दिया गया। तत्पश्चात,

शिकायतकर्ता को रु.50,000/- की राशि सौंपी गई, जिसे शिकायतकर्ता ने अपनी पैंट की दाहिनी ओर की जेब में रखा था और उसे पंच गवाह को अपने साथ रखने के लिए कहा गया था ताकि वह शिकायतकर्ता और आरोपी के बीच बातचीत सुन सके । इसके बाद, शिकायतकर्ता ने उप.नि. अमित कुमार को टेलीफोन किया जिसने शिकायतकर्ता को शेखर से मिलने के लिए कहा। इसके बाद, छापेमारी टीम बशमूल आरओ नि. अजय त्यागी शिकायतकर्ता सुरेंद्र सिंह, पंच गवाह रमेश चंदर केशरवानी, प्र.सि. राकेश, प्र.सि. तारा चंद, प्र.सि. कंवर सिंह और ड्राइवर सहा.उप.नि. अमरदीप सरकारी वाहन सं. DL-1CJ-5549 में रवाना हुइ

और लगभग 02:30 बजे थाना पंजाबी बाग के पास पहुंची। यह आगे कहा गया है कि शिकायतकर्ता और पंच गवाह को पंजाबी बाग थाना में भेजा गया था और छापेमारी टीम पंजाबी बाग थाना के बाहर रही। इसके बाद, शिकायतकर्ता ने शेखर के मोबाइल फोन पर कॉल किया जिसने शिकायतकर्ता को शेखर के कार्यालय में पहुंचने के लिए कहा जो रामपुरा में स्थित है और तदनुसार शिकायतकर्ता सह छापेमारी टीम लगभग 03:30 बजे शेखर के कार्यालय में पहुंच। शिकायतकर्ता और पंच गवाह पहली मंज़िल पर गए और अन्य कर्मचारी कार्यालय के पास रहे। तत्पश्चात, 35-40 मिनट के बाद पंच गवाह नीचे आया और छापेमारी टीम को एक पूर्व-नियोजित

संकेत दिया और छापेमारी टीम पहली मंज़िलल पर पहुंची जहां पंच गवाह ने बताया कि काखी पैंट और पीली शर्ट पहने व्यक्ति ने अपने दाहिने हाथ से रु.50,000/- शिकायतकर्ता से लिए थे और उस व्यक्ति को आरओ द्वारा पकड़ लिया गया, उक्त व्यक्ति ने अपना नाम उप.नि. अमित कुमार बताया। इसके बाद, आरोपी उप.नि. अमित कुमार की जामातलाशी में उसके दाहिने हाथ से रु.50,000/- (रु.2,000/- के 25 मुद्रा नोट) बरामद किए गए । बरामद मुद्रा नोटों की क्रम संख्या पूर्व-छापेमारी कार्यवाही में नोट किए गए क्रम संख्या के साथ मिलाया गया । । इसके बाद, आरोपी के दाहिने हाथ को सोडियम कॉर्बोनेट घोल में डाला

गया, जो गुलाबी हो गया जिसे दो बोतलों में ज़ब्त कर लिया गया। इसके बाद, मामले के प्रदर्शों को कब्जे में ले लिया गया। वर्तमान मामला उप.नि. अमित कुमार और शेखर के खिलाफ दर्ज किया गया था और जांच नि. डी.वी. गौतम को सौंपी गई थी जिन्होंने आरोपी को गिरफ्तार किया और शिकायतकर्ता सुरेंद्र सिंह के कहने पर नक्शा मौका तैयार किया। जांच के दौरान, आरोपी शेखर कुमार से भी पूछताछ की गई, जिसने खुलासा किया कि उसने शिकायतकर्ता सुरेंद्र सिंह के ट्रक में चेन्नई एक शराब की खेप भेजी थी, जिसने चेन्नई के रास्ते में खेप का आधा हिस्सा निकाल लिया था और इसलिए, आरोपी शेखर ने मामले की सूचना

पंजाबी बाग थाना में दी और आरोपी उप.नि. अमित कुमार से संपर्क किया जिसने बिना कोई प्राथमिकी दर्ज किए बहादुरगढ़ से शराब की चोरी की खेप बरामद करा दिया ।"

3. विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर रखी गई सामग्री पर विचार करने के बाद, याचिकाकर्ता और सह-अभियुक्त उप.नि. अमित कुमार के खिलाफ भा.दं.सं. की धारा 120बी और भ्र.नि. अधिनियम की धारा 7/13 (1)(डी) के तहत आरोप तय किए।

4. याचिकाकर्ता के फाज़िल अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि यह अपराध अभिकथित रूप से 23.05.2018 को भ्र.नि. अधिनियम की अशंशोधित धारा 7 के तहत किया गया है, और जिसके अनुसार, किसी आधिकारिक कार्य के संबंध में वैध पारिश्रमिक के अलावा कोई परितोषण लेने पर एक लोक सेवक पर आरोप

लगाया जा सकता है । उन्होंने कहा कि उप.नि. अमित कुमार याचिकाकर्ता की शिकायत पर विचार नहीं कर सकते थे और आगे बढ़ सकते थे क्योंकि पुलिस थाना पंजाबी बाग, दिल्ली के अधिकार क्षेत्र में कोई अपराध नहीं किया गया था जहां वह तैनात थे। अपने निवेदन के समर्थन में, याचिकाकर्ता के फाज़िल अधिवक्ता ने नि. राजीव भारद्वाज, दारोग़ा, पुलिस थाना पंजाबी बाग के बयान पर भरोसा किया है जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत दर्ज किया गया था । इस बयान में कहा गया है कि याचिकाकर्ता 16.05.2018 को पुलिस थाना आया था और उप.नि. अमित कुमार से अपने सामान की चोरी के बारे में मिला था जो ओखला से चेन्नई भेजा गया था। इस बयान में यह भी उल्लेख किया गया था कि पुलिस थाना पंजाबी बाग का इस मामले में कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था और सह-अभियुक्त उप.नि.

अमित कुमार ने अनौपचारिक रूप से काम किया। फाज़िल अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि जांच एजेंसी ने कथित साज़िश को साबित करने के लिए कोई भी गवाह पेश नहीं किया है । निवेदन के समर्थन में, उन्होंने विष्णु प्रसाद बनाम उ.प्र. राज्य में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया है, **1981 SCC OnLine All 566** ।

5. मैंने याचिकाकर्ता के फाज़िल अधिवक्ता को सुना है और अभिलेख पर रखी गई सामग्री को भी देखा है।

6. वर्तमान मामले में शामिल संक्षिप्त मुद्दा 26.07.2018 को लागू होने वाले अधिनियम संख्या 16/2018 द्वारा इसके संशोधन से पहले धारा 7 भ्र.नि. अधिनियम की व्याख्या का है । वर्तमान घटना 23.05.2018 को होना बताई गई है। भ्र.नि. अधिनियम

की धारा 7, वर्ष 2018 में इसके संशोधन से पहले, निम्नानुसार पढ़ी जाती थी:-

"7. लोक सेवक द्वारा पदीय कार्य के लिए वैध पारिश्रमिक से भिन्न परितोषण लिया जानाजो कोई - लोक सेवक होते हुए या होने की प्रत्याशा रखते हुए वैध पारिश्रमिक से भिन्न किसी प्रकार का भी कोई त के करने के लिए हेतु या इनाम के परितोषण इस बा रूप में किसी व्यक्ति से अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रतिगृहित या अभिप्राप्त करेगा या प्रतिगृहित करने को सहमत होगा या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करेगा कि वह लोक सेवक अपना कोई पदीय कार्य करे या करने से प्रविरत रहे अथवा किसी व्यक्ति को अपने पदीय कृत्यों के प्रयोग में कोई

अनुग्रह या अननुग्रह दिखाए या दिखाने से प्रविरत रहे अथवा केंद्रीय सरकार या किसी राज्य की सरकार या संसद या किसी राज्य विधानके 2 मंडल में या धारा- निगम ,में निर्दिष्ट किसी स्थानीय प्राधिकारी (ग) खंड ,सरकारी कंपनी में या किसी लोक सेवक के यहाँ या किसी व्यक्ति का कोई ,चाहे वह नामित हो या नहीं वह ,उपकार या अपकार करे या करने का प्रयत्न करे कारावास सेसे कम नहीं [तीन वर्ष] जिसकी अवधि , तक की हो सकेगी और [सात वर्ष] होगी किन्तु / जुर्माने से भी दण्डित किया जाएगा

***स्पष्टीकरण**" (क) -लोक सेवक होने की प्रत्याशा रखते हुए- " यदि कोई व्यक्ति जो किसी पद पर होने की प्रत्याशा न रखते हुएदूसरों को प्रवंचना से यह ,*

विश्वास करा कर कि वह किसी पद पर होने वाला है उससे ,और यह कि तब वह उनका उपकार करेगा वह छल करने का तो ,परितोषण अभिप्राप्त करेगा दोषी हो सकेगा किन्तु वह इस धारा में परिभाषित अपराध का दोषी नहीं हैं |

" (ख)परितोषणशब्द से धन "परितोषण" - " जो ,उन परितोषणों तक ही ,सम्बन्धी परितोषण तक |निर्बंधित नहीं है ,धन में आंके जाने योग्य हैं

" (ग)वैध पारिश्रमिक " वैध पारिश्रमिक " -" शब्द उस पारिश्रमिक तक ही निर्बंधित नहीं हैं जिसकी मांग कोई लोक सेवक विधि पूर्ण रूप से कर सकता हैकिन्तु इसके अंतर्गत वह समस्त पारिश्रमिक आता , है जिसको प्रतिगृहित करने के लिए उस सरकार या

उसे अनुज्ञा दी गई ,जिसकी सेवा में है ,संगठन द्वारा /है

" (घ)करने के लिए हेतुक या इनाम- " वह व्यक्ति जो वह कार्य करने के लिए हेतुक या इनाम के रूप मेंया ,जिसे करने का उसका आशय नहीं है , जिसे करने की स्थिति में वह नहीं है या जो उसने इस पद के ,परितोषण प्राप्त करता है ,नहीं किया है /अंतर्गत आता है

ङ) जहाँ कोई लोक सेवक किसी व्यक्ति को यह गलत विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करता है कि सरकार में उसके असर से उस व्यक्ति को कोई हक अभी प्राप्त हुआ हैऔर इस प्रकार उस व्यक्ति को , इस सेवा के लिए पुरस्कार के रूप में लोक सेवक को

धन या कोई अन्य परितोषण देने के लिए उत्प्रेरित

ह इस धारा के अधीन लोक सेवक तो य ,करता है

/द्वारा किया गया अपराध होगा

7. पूर्वोक्त धारा और संलग्न स्पष्टीकरण (डी) और (ई) के देखने से पता चलता है कि उसके तहत किसी अपराध का गठन करने के लिए यह पर्याप्त है कि कोई लोक सेवक सेवा प्रदान करने के लिए अवैध परितोषण प्राप्त करता है यह मानते हुए कि वह सहायता करेगा चाहे वह ऐसा करने में सक्षम हो या नहीं ।

8. वर्तमान मामले में शामिल विवाद **AIR 1955 SC 70** के रूप में प्रतिवेदित <u>महेश प्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य</u> में भा.दं.सं. की धारा 161 (भ्र.नि. अधिनियम द्वारा मंसूख) के तहत दंडनीय अपराध के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष भी उठा था । सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रतिविरोध को नकारते हुए कहा कि

उपरोक्त धारा के तहत अपराध का गठन करने के लिए, यह पर्याप्त है यदि लोक सेवक जो धन प्राप्त करता है, उसे यह कहकर ले कि वह किसी अन्य लोक सेवक से दाता को सहायता प्रदान करेगा और दाता उस विश्वास के तहत पैसा देता है। धन का प्राप्तकर्ता ऐसी सहायता प्रदान करने की स्थिति में नहीं भी हो सकता है। जिसे करने में वह स्वं सक्षम बता रहा हो उसे सिरे से करने का उसका इरादा नहीं भी हो तब भी । वह तदनुसार धोखाधड़ी का दोषी हो सकता है। तथापि, वह भा.दं.सं. की धारा 161 के अधीन दंडनीय अपराध का दोषी है । **(1976) 3 SSC 46** के रूप में प्रतिवेदित चतुर्दास भगवानदास पटेल बनाम गुजरात राज्य में सर्वोच्च न्यायालय ने इन टिप्पणियों को निम्न प्रकार दोहराया:-

"21..... धारा इसकी अपेक्षा नहीं करती कि लोक सेवक, वास्तव में, परितोषण की मांग या प्राप्ति के समय सरकारी कार्य, पक्ष या सेवा करने की स्थिति में हो ही। इस धारा के अधीन अपराध गठित करने के लिए, यह पर्याप्त है यदि लोक सेवक, जो परितोष स्वीकार करता है, उसे विश्वास पैदा करके या यह अभिनिर्धारित करके कि वह "किसी अन्य लोक सेवक के साथ" दाता को सहायता प्रदान करेगा और दाता उस विश्वास के अधीन परितोष देता है। यह और अधिक सारहीन है यदि लोक सेवक को संतुष्टि प्राप्त करने का इरादा आधिकारिक कार्य, पक्ष या सहिष्णुता करने का नहीं है जो वह खुद को करने में सक्षम है।यह अंतिम स्पष्टीकरण CRL. MC 996/2021 से स्पष्ट है धारा 161 में जोड़ा गया, जिसके अनुसार, जो व्यक्ति ऐसा करने का इरादा नहीं रखता है, उसे करने के लिए एक मकसद के रूप में संतुष्टि प्राप्त करता है, वह ऐसा करने के लिए एक इनाम था जो उसने नहीं किया है, 'एक

मकसद या करने के लिए इनाम' शब्दों के दायरे में आता हैइस खंड के तहत इलस्ट्रेशन (ग) द्वारा बिंदु को और स्पष्ट किया गया है।इस प्रकार, भले ही यह मान लिया जाए कि घनश्यामसिंह के खिलाफ बाई सती के अपहरण के आरोप के बारे में अपीलकर्ता द्वारा किया गया प्रतिनिधित्व, वास्तव में, गलत था, यह उसे धारा 161 के टेंटुओं से बाहर निकलने में सक्षम नहीं करेगा, हालांकि वही अपीलकर्ता का कार्य धोखाधड़ी के अपराध की राशि हो सकती है, (देखें महेश प्रसाद बनाम यूपी राज्य; धनेश्वर नारायण सक्सेना बनाम दिल्ली प्रवेश)

22. वास्तव में, जब एक लोक सेवक एक पुलिस अधिकारी होता है, तो दंड संहिता की धारा 161 के तहत आरोप लगाया जाता है और यह आरोप लगाया जाता है कि आधिकारिक कार्य करने या खरीदने के लिए उसके द्वारा अवैध संतुष्टि ली गई थी, यह सवाल कि क्या दाता के खिलाफ कोई अपराध था

संतुष्टि जो अभियुक्त जांच कर सकता था या नहीं, उस उद्देश्य के लिए सामग्री नहीं है।यदि उसने अवैध संतुष्टि निकालने के लिए अपनी आधिकारिक स्थिति का उपयोग किया है, तो कानून की आवश्यकता संतुष्ट है।न्यायालय के लिए इस तरह के मामले में यह विचार करना आवश्यक नहीं है कि लोक सेवक पक्ष या विघटन का कोई आधिकारिक कार्य करने या करने में सक्षम था या नहीं (देखें भानुप्रसाद हरिप्रसाद दवे बनाम गुजरात राज्य और शिव राज सिंह बनाम दिल्ली प्रशासन।) ”

9. वर्तमान मामले में, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि याचिकाकर्ता द्वारा दायर एक शिकायत पर, सह-अभियुक्त एसआई अमित कुमार ने उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं करने के लिए 16.05.2018 को 5 लाख रुपये की मांग की।इसके बाद, शिकायतकर्ता ने 17.05.2018 को रु। 2. 5 लाख और 18.05.2018 को एसआई अमित कुमार को पुलिस स्टेशन पंजाबी

बाग में रु। 30,000/-।जब शिकायतकर्ता को 21.05.2018 तक शेष राशि का भुगतान करने की धमकी दी गई थी, तो उसने 23.05.2018 को शिकायत की, जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान प्राथमिकी का पंजीकरण हुआ। एक जाल बिछाया गया।शिकायतकर्ता को याचिकाकर्ता के कार्यालय पहुंचने के लिए कहा गया।छापेमारी दल ने एसआई अमित कुमार को कार्यालय *फौ.वि.मु* 996/2021 में पकड़ लिया 50,000/- की रिश्वत राशि के साथ वर्तमान याचिकाकर्ता की।इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सह-अभियुक्त के कार्य धारा 7 पीसी अधिनियम के दायरे में आते हैं क्योंकि यह 2018 के संशोधन से पहले खड़ा था।

10. दूसरे विवाद के रूप में इनफ़ॉफ़र, साजिश के अपराध के संबंध में, चिंतित है, यह उद्धृत किया जाता है कि गोपनीयता में या गोपनीयता में एक साजिश रची जाती है।प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा

एक साजिश स्थापित करना शायद ही संभव हो।आमतौर पर, साजिश और उसकी वस्तुओं के अस्तित्व दोनों को परिस्थितियों और अभियुक्तों के आचरण से अनुमान लगाना पड़ता है [रेफर:पुलिस अधीक्षक, सीबीआई/एसआईटी बनाम नलिनी और अन्य के माध्यम से राज्य ने **(1999)5 एससीसी 253]** के रूप में सूचना दी।वर्तमान मामले में, चूंकि याचिकाकर्ता और सह-अभियुक्त एसआई अमित कुमार को रिश्वत राशि के साथ याचिकाकर्ता के कार्यालय में गिरफ्तार किया गया था, इसलिए विवाद मेरिटलेस है और खारिज कर दिया गया है।

11. याचिकाकर्ता के विद्वत अधिवक्ता ने अपने तर्कों का समर्थन करने के लिए विष्णु प्रसाद (सुप्रा) पर भी भरोसा रखा है, हालांकि, इसमें निर्णय वर्तमान याचिकाकर्ता की कोई मदद नहीं

करता है, क्योंकि यह उस मामले के अजीब तथ्यों और परिस्थितियों में पारित किया गया था।

12. यह सुलझा हुआ कानून है कि आरोप तय करने के चरण में, जहां रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री गंभीर संदेह का खुलासा करती है जिसे ठीक से समझाया नहीं गया है, न्यायालय आरोप तय करने में पूरी तरह से उचित होगा।यह भी अच्छी तरह से तय है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 227 के तहत आरोप तय करने के सवाल पर विचार करते समय एक न्यायाधीश के पास यह पता लगाने के सीमित उद्देश्य के लिए सबूतों को निचोड़ने और तौलने की निस्संदेह शक्ति है कि अभियुक्त के खिलाफ एक प्रथम दृष्टया मामला है या नहीं बाहर किया गया।प्रथम दृष्टया मामले को निर्धारित करने के लिए परीक्षण प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा।

13. कानून के पूर्वोक्त विस्तार के आलोक में तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय को कोई अवैधता, दुर्बलता या CRL. MC 996/2021 नहीं मिला| लगाए गए आदेश में व्यापकता।उसी को बरकरार रखा जाता है और वर्तमान याचिका को लंबित आवेदन के साथ खारिज कर दिया जाता है।

14. यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि यहां दी गई टिप्पणियां केवल वर्तमान याचिका को तय करने के उद्देश्य से हैं और परीक्षण में मामले की खूबियों को प्रभावित नहीं करेंगी।

15. इस आदेश की एक प्रति संबंधित ट्रायल कोर्ट को इलेक्ट्रॉनिक रूप से सूचित की जानी चाहिए।

(मनोज कुमार ओहरी)

न्या

24 अगस्त, 2021

एन.ऐ

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*